

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 194/2026

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.05.2026

डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

### थाना- बरदह, जनपद आजमगढ़

➡ पोखरे में मछली व CCTV कैमरा तोड़ने से रोकने पर जानलेवा हमला करने वाले 10 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ बलवा, मारपीट व SC/ST एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, अभियुक्तों को न्यायालय भेजा गया

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 19.05.2026 को वादी मुकदमा उमेश सरोज पुत्र स्व० फिरतू सरोज निवासी ग्राम सराय मोहन थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि ग्राम मणिक बरनवाल के पोखरे में डाली गई मछली की सुरक्षा हेतु लगाए गए CCTV कैमरे को दिनांक 19.05.2026 की रात्रि लगभग 08 बजे अभियुक्तगण अरविन्द, रामनरेश, प्रेम, प्रदुम्न, शनि, रामप्रीत, मेवा, मोहन, अखिलेश, धर्मेन्द्र, दिवाकर, सोनू, मुकेश यादव, भोला, संजू, लाल बहादुर आदि द्वारा एक राय होकर तोड़फोड़ की जा रही थी। विरोध करने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसके भाइयों पर रॉड से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा पोखरे में डाली गई मछली, जाल, ट्यूबवेल पाइप एवं अन्य सामग्री को क्षतिग्रस्त/छीनकर लगभग ₹2 लाख का नुकसान किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 174/26 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/110/324(4) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)घ, 3(2)V SC/ST Act के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 21.05.2026 को 30नि० राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना पर ग्राम सरायमोहन क्षेत्र में दबिशा दी गई, जहां अभियुक्तगण द्वारा पुनः एकत्र होकर गंभीर संज्ञेय अपराध कारित करने की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा समझाने का प्रयास किया गया किन्तु अभियुक्तगण नहीं माने, जिस पर समय लगभग 14:30 बजे 10 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. संजू पुत्र भूलन उम्र 28 वर्ष
2. दिवाकर पुत्र अखिलेश उम्र 23 वर्ष
3. शनि पुत्र रामनरेश उम्र 20 वर्ष
4. मोहन पुत्र घूरन उर्फ घनश्याम उम्र 25 वर्ष
5. प्रदुम्न पुत्र रुपचंद उम्र 24 वर्ष
6. लाल बहादुर पुत्र यदुनाथ उम्र 35 वर्ष
7. मेवालाल पुत्र घूरन उर्फ घनश्याम उम्र 30 वर्ष
8. भोला पुत्र स्व० तिलठू उम्र 35 वर्ष
9. सोनू पुत्र अखिलेश उम्र 22 वर्ष
10. रामप्रीत पुत्र गोविन्द उम्र 28 वर्ष

सभी निवासी ग्राम सरायमोहन, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, थाना बरदह
2. कांस्टेबल पंकज यादव
3. कांस्टेबल सुनील कुमार सरोज
4. कांस्टेबल रामचंद्र
5. रि0क0 अभिषेक गुप्ता
6. रि0क0 सोनू यादव
7. रि0क0 शुभम कुमार मौर्या
8. म0रि0आ0 ऋषिता गुप्ता  
थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

**थाना- गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ | दिनांक- 21.05.2026**

➡  **हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

➡  **अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित**

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.05.2026 को वादी अनुज मोदनवाल पुत्र स्व0 सूरज मोदनवाल निवासी रानीपुर रजमो (विन्द्राबाजार) थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अवगत कराया गया कि दिनांक 18.05.2026 की रात्रि लगभग 22:30 बजे पारिवारिक विवाद/ताना मारने की बात को लेकर विपक्षीय गोलू, शैलेन्द्र, शिव प्रसाद, शिव प्रकाश, अमित मोदनवाल, मोनी, दुर्गावती देवी एवं रंजू मोदनवाल आदि द्वारा एक राय होकर वादी के पिता सूरज मोदनवाल पर लाठी-डण्डा व रॉड से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उपचार के दौरान चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 124/2026 धारा 103(1)/115(2)/351(3)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे वांछित/अपराधी गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त शिव प्रकाश मोदनवाल पुत्र स्व0 किशोरीलाल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (विन्द्राबाजार) थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 55 वर्ष को समय करीब 11:40 बजे पटेल ढाबा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिव प्रकाश मोदनवाल पुत्र स्व0 किशोरीलाल, निवासी रानीपुर रजमो (विन्द्राबाजार), थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, थाना गम्भीरपुर
2. का0 रमेश यादव
3. रि0का0 अंकित सिंह द्वितीय
4. रि0म0का0 रागिनी गौड़  
थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

**थाना- बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ | दिनांक- 21.05.2026**

**➡  किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के प्रकरण में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

**➡  अपहृत पीड़िता की सकुशल बरामदगी, आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.05.2026 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि दिनांक 18.05.2026 की रात्रि लगभग 19:30 बजे उनकी बड़ी पुत्री को शुभम उर्फ अनुराग राजभर पुत्र कैलाश राजभर तथा छोटी पुत्री को अरुण कुमार पुत्र बेचई राम द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में सूचना दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 128/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2026 को उ0नि0 संतोष कुमार पाठक मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम गोरिया बाजार से ककरही दुलार जाने वाले मार्ग पर स्थित भट्टे के पास दबिश देकर 02 वांछित अभियुक्तगण को समय लगभग 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया। नामजद/प्रकाश में आए अन्य अभियुक्त विशाल उर्फ प्रिंस मोदनवाल एवं शुभम उर्फ अनुराग राजभर की गिरफ्तारी करते हुए अपहृता की सकुशल बरामदगी भी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विशाल उर्फ प्रिंस मोदनवाल पुत्र राजेन्द्र मोदनवाल, निवासी ककरही दुलार, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
2. अनुराग उर्फ शुभम राजभर पुत्र कैलाश राजभर, निवासी इस्माईलपुर गोरिया, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 128/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संतोष कुमार पाठक
  2. का0 कृपाशंकर
  3. का0 सुरेन्द्र पाल
  4. रि0का0 शुभम गौड़
  5. रि0का0 शुभम यादव
- थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

**थाना- फूलपुर, जनपद आजमगढ़ | दिनांक- 21.05.2026**

**➡  जानलेवा हमले के मामले में 01 वांछित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार**

**➡  मु0अ0सं0- 172/2026 धारा 3(5)/109/115(2) बीएनएस में पुलिस की बड़ी कार्यवाही**

घटना का विवरण-

दिनांक 20.05.2026 को वादी अभिषेक यादव पुत्र वंशराज यादव निवासी ग्राम दुर्वाषा (चेतरा), थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि दिनांक 19.05.2026 को समय लगभग 11:00 बजे साइकिल विवाद को लेकर विपक्षीयण द्वारा एक राय होकर वादी के घर पर चढ़कर लाठी-डण्डा से लैस होकर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। हमले में वादी की भाभी विन्दु यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा बीच-

बचाव करने पर अन्य परिजनों को भी चोटें आईं प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 172/2026 धारा 3(5)/109/115(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 21.05.2026 को उ0नि0 उमाशंकर यादव मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त/अभियुक्ताओं की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा समय लगभग 05:00 बजे ग्राम ऊदपुर क्षेत्र, दुर्वाषा गेट से आगे कोल्ड स्टोरेज रोड पर करीब 100 कदम आगे से 01 वांछित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त/अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया। सभी को जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अंकित यादव पुत्र मधुबन यादव
2. शकुन्तला यादव पुत्री मधुबन यादव
3. चमेली देवी पत्नी स्व0 रामदुलार यादव
4. सविता यादव पुत्री स्व0 रामदुलार यादव

सभी निवासी ग्राम दुर्वाषा (चेतरा), थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 172/2026 धारा 3(5)/109/115(2) बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उमाशंकर यादव
2. का0 अनिल प्रसाद
3. का0 विशाल गौड़
4. म0का0 सपना तिवारी
5. म0का0 शिल्पी सिंह

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

**थाना- अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ | दिनांक- 21.05.2026**

➡ **नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

➡ **मु0अ0सं0 187/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस में पुलिस की कार्यवाही, अभियुक्त न्यायालय रवाना**

पूर्व का विवरण-

दिनांक 16.05.2026 को वादी अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि दिनांक 13.05.2026 को उनकी नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 17 वर्ष) को विपक्षी लवकुश पुत्र स्व0 अनिल निवासी विरुवापुर थाना अतरौलिया द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में सूचना दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 187/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 विश्राम गुप्ता द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 21.05.2026 को उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी अभियान के क्रम में सूचना पर अभियुक्त लवकुश पुत्र स्व0 अनिल, निवासी विरुवापुर थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 38 वर्ष को मदियापार मोड़ से समय करीब 07:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 187/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

लवकुश पुत्र स्व0 अनिल, निवासी विरुवापुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 38 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० विश्राम गुप्ता
2. का० सुशील चौधरी
3. रि०का० सतलज वर्मा

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

**थाना- मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ | दिनांक- 21.05.2026**

**➡️ शांति अभियुक्त अवैध प्रतिबंधित तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार**

**➡️ मु०अ०सं० 176/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत, आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित**

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 20.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय S.I. आदिल खाँ व हमराह पुलिस टीम द्वारा तलाश वांछित/वारंटी एवं रात्रि गश्त के दौरान ग्राम मटरुगंज ठुठवा मुस्तफाबाद स्थित प्रिंस इंजीनियरिंग वर्कशॉप के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर तेजी से भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अवधराज यादव पुत्र स्व० राजेन्द्र यादव, निवासी ग्राम मुस्तफाबाद, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 42 वर्ष बताया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किए जाने पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता से घेराबंदी कर उसे समय करीब 23:22 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर तथा 100 रुपये नगद बरामद हुए। अभियुक्त से उक्त असलहा रखने का वैध लाइसेंस मांगे जाने पर वह प्रस्तुत नहीं कर सका।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अवधराज यादव पुत्र स्व० राजेन्द्र यादव, निवासी ग्राम मुस्तफाबाद, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 42 वर्ष।

बरामदगी-

1. एक अदद तमंचा .315 बोर
2. एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
3. ₹100 नगद

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 176/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 435/2012 धारा 323/325/452/504 भादवि०, आरोप पत्र प्रेषित
2. मु०अ०सं० 129/2014 धारा 308/323/427/452/504/506 भादवि०, आरोप पत्र प्रेषित

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक निहार नन्दन कुमार
2. S.I. आदिल खाँ
3. का० शिवम चौधरी
4. का० मुकेश चौधरी
5. का० धीरेन्द्र पासवान
6. का० आकाश कुमार

थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

**दिनांक – 21.05.2026**

**जनपद – आजमगढ़ (परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण)**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 21.05.2026 को थाना कोतवाली परिसर, आजमगढ़ में स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में कुल 04 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मध्यस्थता हेतु बुलाया गया था, जिनमें से 03 पत्रावलियों में पक्षकार उपस्थित हुए। मध्यस्थता के दौरान 02 पत्रावलियों में उपस्थित दोनों पक्षों को आपसी काउंसलिंग एवं समझाइश के उपरांत सफलतापूर्वक समझौता कराया गया। एक प्रकरण में आवेदिका द्वारा पति एवं ससुराल पक्ष पर कम दहेज को लेकर शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के आरोप अंकित थे, जबकि दूसरे प्रकरण में आवेदक की पत्नी द्वारा पति एवं सास-ससुर के साथ विवाद संबंधी आरोप अंकित थे। दोनों पक्षों की संयुक्त एवं पृथक काउंसलिंग कर आपसी मतभेदों का समाधान कराया गया तथा पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु सहमति बनाई गई। शेष एक पत्रावली में अग्रिम तिथि नियत करते हुए पक्षकारों को पुनः नोटिस/फोन द्वारा सूचित कर मध्यस्थता की कार्यवाही की जाएगी।

यह “नई किरण” परियोजना पारिवारिक विवादों के समाधान, टूटते परिवारों को जोड़ने तथा माननीय पारिवारिक न्यायालयों पर कार्यभार कम करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है, जो बिखरे हुए परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास कर रही है।

इस पुनीत कार्य में काउंसलर के रूप में उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी (प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ), उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता, आरक्षी जितेन्द्र शाह एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

**कुल समझौते – 02**

1. तमन्ना पत्नी एजाज, निवासी फ्रेण्डस कॉलोनी, नियर पुलिस चौकी बदरका, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
2. राकेश विश्वकर्मा पुत्र राजेन्द्र विश्वकर्मा, निवासी उसरौली, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 21.05.2026 जनपद आजमगढ़**

"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (3 वर्ष 6 माह) के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना जीयनपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (3 वर्ष 6 माह) के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक-22.06.2019 को वादी मुकदमा प्र0निरी0 श्री विमलेश मौर्या थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त आमिर पुत्र जुल्फीकार निवासी खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 135/2019 धारा- 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए।

→ जिसके क्रम में दिनांक-21.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 कोर्ट सं0-01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आमिर पुत्र जुल्फीकार निवासी खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (3 वर्ष 6 माह) के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**थाना- निजामाबाद, जनपद आजमगढ़**

**दिनांक- 21.05.2026**

➡️ **जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी करने वाले गिरोह के 04 सदस्य गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार**

➡️ **सक्रिय चोर गिरोह पर निजामाबाद पुलिस की बड़ी कार्यवाही, गैंग लीडर सहित चार अभियुक्त जेल भेजे गये**

➡️ **गिरोह के विरुद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट एवं अन्य संगीन धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत**

डॉ० अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी निजामाबाद के पर्यवेक्षण में थाना निजामाबाद पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व की घटना के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले संगठित गिरोह के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 20.05.2026 को थाना निजामाबाद पर मु०अ०सं० 127/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 21.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में देखभाल व वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर भदुली पुल सिवली के पास से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तों को समय करीब 08:45 बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में रोहित चौहान, राहुल चौहान, अभिषेक चौहान एवं संदीप कुमार शामिल हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रोहित चौहान पुत्र रमेश चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
2. राहुल चौहान पुत्र दयाराम चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
3. अभिषेक चौहान पुत्र विरेन्द्र चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
4. संदीप कुमार पुत्र दीपचन्द्र निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 127/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. रोहित चौहान पुत्र रमेश चौहान

1. मु०अ०सं० 44/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़।

2. मु०अ०सं० 491/2024 धारा 112,305,317(2),317(4) बीएनएस थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

3. मु०अ०सं० 8/2025 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना मेहनगर आजमगढ़।

4. मु०अ०सं० 494/2024 धारा 112,305,317(2),317(4) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़।

5. मु०अ०सं० 140/2018 धारा 379,511 भादवि थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

6. मु०अ०सं० 330/2019 धारा 379,411,413 भादवि व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

7. मु0अ0सं0 14/2024 धारा 380,411,413,457 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ
8. मु0अ0सं0 448/2024 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ
9. मु0अ0सं0 14/2023 धारा 380,411,457 भादवि थाना टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
10. मु0अ0सं0 313/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 341/2025 धारा 305A,317(2),317(4),112 बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़
12. मु0अ0सं0 400/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़
13. मु0अ0सं0 505/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
14. मु0अ0सं0 343/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़
15. मु0अ0सं0 127/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

2. राहुल चौहान पुत्र दयाराम चौहान

1. मु0अ0सं0 313/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 341/2025 धारा 305A,317(2),317(4),112 बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 400/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 505/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 127/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

3. अभिषेक चौहान पुत्र विरेन्द्र चौहान

1. मु0अ0सं0 313/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 341/2025 धारा 305A,317(2),317(4),112 बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 400/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 505/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 127/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

4. संदीप कुमार पुत्र दीपचन्द्र

1. मु0अ0सं0 14/2023 धारा 380,411,457 भादवि थाना टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0सं0 313/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 341/2025 धारा 305A,317(2),317(4),112 बीएनएस थाना निजामाबाद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 400/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 505/2025 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 127/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 राजनरायण पाण्डेय थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. का0 दीपक कुमार पासवान थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
4. का0 मुकेश विश्वकर्मा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
5. म0का0 सुमन सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
6. रि0का0 कुलदीप सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
7. रि0म0का0 मेनका जायसवाल थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

**थाना- जीयनपुर, जनपद आजमगढ़**

**दिनांक- 21.05.2026**

➡  **गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

➡  **जेवर चोरी एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गिरोह पर जीयनपुर पुलिस की कार्यवाही**

➡  **गिरोह के विरुद्ध पूर्व में चोरी व अन्य संगीन धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत**

डॉ० अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में थाना जीयनपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व की घटना के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 24.06.2024 को वादिनी अम्बालिका राय पत्नी विनयानन्द राय निवासी ग्राम फरसरा खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर दी गयी थी कि भवरनाथ से दोहरीघाट जाने के दौरान टेम्पो से उतरने पर उनके बैग से सोने के आभूषण चोरी हो गये थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु०अ०सं० 296/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुमार, राजन कुमार, जयभीम, सल्टू राम एवं एस०पी० कुमार के नाम प्रकाश में आये थे, जिनके विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त गिरोह के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 18.05.2026 को गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 20.05.2026 को थाना जीयनपुर पर मु०अ०सं० 225/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 21.05.2026 को थाना जीयनपुर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मेघई नरैना पुलिया के पास से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को समय करीब 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में जयभीम पुत्र महेन्द्र राम, राजन कुमार पुत्र चन्द्रिका राम तथा सुरेन्द्र कुमार पुत्र समारू राम उर्फ समहारू राम निवासीगण छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ शामिल हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. जयभीम पुत्र महेन्द्र राम निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
2. राजन कुमार पुत्र चन्द्रिका राम निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र समारू राम उर्फ समहारू राम निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 225/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

सुरेन्द्र कुमार पुत्र समारू राम उर्फ समहारू राम

1. मु०अ०सं० 225/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर।
2. मु०अ०सं० 082/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी।

3. मु0अ0सं0 296/2024 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर।
4. मु0अ0सं0 476/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जीयनपुर।

जयभीम पुत्र महेन्द्र राम

1. मु0अ0सं0 225/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर।
2. मु0अ0सं0 296/2024 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर।
3. मु0अ0सं0 476/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जीयनपुर।

राजन कुमार पुत्र चन्द्रिका राम

1. मु0अ0सं0 225/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर।
2. मु0अ0सं0 296/2024 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर।
3. मु0अ0सं0 476/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जीयनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. व0ड0नि0 परमात्मा मिश्रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
2. का0 अक्षय प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 अवधेश कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
4. का0 प्रदुम्न यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

